कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2630 /11सी–कानपुर/22879/2016, दिनांक, लखनऊ, जून 12, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जी0टी0रोड किमी0 0.00 से 10.97 तक (कल्याणपुर से बिठूर तक) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु 6.011 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 137 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/19/2017/एफ0सी0/CAMP/14317, दि0 14.03.2017,
उ0प्र0शासन का पत्रांक–भा0स0–90/14–2–2017–800(2)/2017, दिनांक 30.05.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित त्रुटियों के निराकरण हेतु शासन के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय को वापस प्राप्त हुयी थीं। इंगित सूचनाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय व प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से अपेक्षित थी।

उक्त के कम में मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर के पत्रांक–4849/14–1, दिनांक 08.06.2017 द्वारा इंगित त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियॉ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मूल प्रति भारत सरकार प्रेषित करते हुए प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–प्रस्ताव की दो प्रतियॉ सी.डी. सहित।

भवदीय,

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2630 / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2– प्रभागीय प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, कानपुर।
3– श्री एम0के0मिश्रा, अधिशाषी अभियन्ता, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।